यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, हरिद्वार माह 05/2012 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अजय त्यागी व ,श्री डी॰के॰ मट्टू सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23/07/2018 से 26/07/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया ।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा परीक्षा श्री पी॰सी॰ श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री एस॰के॰ डंग, सुपरवाइजर द्वार दिनांक 26.05.12 से 31॰05॰12 तक श्री एस॰के॰ त्यागी लेखापरीक्षा के पर्यवेक्षण मे संपादित की गई थी जिसमे 4/2010 04/12 तक की अवधि की लेखा परीक्षा की गई | वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2012 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-** छात्राओ को तीन वर्षीय डिप्लोमा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाना। संस्था रेलवे स्टेशन से 11 कि॰मी॰ कि दूरी पर है, एवं नेशनल हाइवे से दूरी 07 km हैं ,डी0एम0 ऑफिस से दूरी 03 कि॰मी हैं ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु में)

क्र॰सं॰	वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना			आधि॰ (+)	बचत
		प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय	प्रा॰शे॰	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	-	8435000	8433593	-	3426250	3380271		47386
2	2016-17	-	9558596	9546460	-	2541484	2541229		12391
3	2017-18	-	11008187	11008187	-	2727149	2727149	----	
4	2018-19 (06/2018 तक)	-	12397700	4364625	-	2103000	1084985		---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा.अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	विविध प्राप्तिया	कुल प्राप्ति	व्यय	आधिक्य	बचत
2015-16	कम्यूनिटी कॉलेज	2266548	3600000	90751	5957299	972707		4984592
	एन॰एस॰एस	223	3360	34	3617	3360		257
	पी॰एम॰के॰वी॰ वाई	0	0	0	0	0		0
2016-17	कम्यूनिटी कॉलेज	4984592	0	154202	5138794	2511339		2627455
	एन॰एस॰एस	257	44271	65	44593	44500		93
	पी॰एम॰के॰वी॰ वाई	0	51030	39	51069	49583		1486
2017-18	कम्यूनिटी कॉलेज	2627455	5340000	193723	8161178	2469345		5691833
	एन॰एस॰एस	93	0	16	109	0		109
	पी॰एम॰के॰वी॰ वाई	1486	349455	617	351558	75020		276538

(iii) इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत, राज्य सरकार/भारत सरकार है।

(iv) इकाई की श्रेणी “सी” है।

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव
↓
निदेशक
↓
प्रधानाचार्य
↓
प्रधान सहायक
↓
वरिष्ठ सहायक
↓
कनिष्ठ सहायक

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, हरिद्वार** की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2018, एवं 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:1- कॉशन निधि खाते से छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि ₹ 127000.00 को छात्र/छात्राओं को वापस न लौटाया जाना ।

कॉलेज द्वारा छात्रो एवं छात्राओ से कॉलेज मे प्रवेश के समय धरोहर के तौर पर कुछ धनराशि ली जाती हैं जिसको शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10.07.1986 के अंतर्गत कॉलेज मे छात्रनिधियों के रख रखाव एवं उपयोग संबंधित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है एवं इस प्रयोजन हेतु कॉलेज मे छात्रनिधियाँ संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया था जिस पर प्राचार्य का पूर्ण नियंत्रण निर्धारित था। उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 06 मे स्पष्ट हैं कि यदि कोई छात्र कॉलेज छोड़ने के तीन वर्ष पश्चात तक अपनी कॉशन मनी वापस लेने के लिए आवदेन पत्र' नहीं देता तो यह राशि लेप्स हो जाएगी। संप्रेक्षा द्वारा इकाई के छात्र निधि खाते कि जांच मे पाया गया कि कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक हरिद्वार के कॉशन निधि खाते में छात्रो एवं छात्राओ की धरोहर धनराशि ₹ 127000.00 वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक लम्बित पड़ी हैं एवं इस धनराशि मे से संप्रेक्षा तिथि तक मात्र 3300.00 की धनराशि को छात्रों एवं छात्राओं के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया गया था। जबकि नियमानुसार कॉलेज के कॉशन निधि खाते मे छात्रों एवं छात्राओं की धरोहर धनराशि ₹ 127000.00 को छात्रों एवं छात्राओं के उनके कॉलेज छोड़ने पर लौटाया जाना चाहिये था। आगे इस संबंध मे जांच मे पाया गया कि कॉलेज ने धनराशि वापस करने के संबंध मे शासन/निदेशालय से भी कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं किए गए थे।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर कॉलेज ने तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि की तथा सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि छात्रों एवं छात्राओं के द्वारा धरोहर धनराशि ₹ 127000.00 को विद्यालय छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कॉशन मनी वापस लेनी चाहिये थी परंतु किसी भी छात्र एवं छात्राओं द्वारा धनराशि वापस लेने के लिए कॉलेज मे आवदेन नहीं किया गया था। विभाग का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि कॉलेज द्वारा ₹ 127000.00 की धनराशि को किसी भी छात्र छात्राओं के विद्यालय छोड़ने पर तीन वर्ष के अंदर कॉशन मनी वापस नहीं की थी तथा न ही शासन को व्यपगत हुई थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं ।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी**
26/2012-13/287	-	01	01
योग	-	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
26/2012-13	01	प्रस्तुत	प्रस्तर -01 की हस्तांतरण रिपोर्ट प्राप्त हुई है शेष प्रस्तर-1 STAN की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति के साथ प्राप्त नहीं हुई।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु राजकीय पॉलीटैक्निक, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
1.	श्री पी.सी. द्विवेदी	प्रधानाचार्य	31.05.12 से 05.10.12
2.	श्री डॉ. राजेश उपाध्याय	प्रधानाचार्य	06.10.12 से 08.08.17
3.	श्री तरूण गर्ग	प्रधानाचार्य	09.08.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाएं।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.